अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 18/15

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. अमरजीतसिंह
2. अमरसिंह पिसरान मंहगासिंह अकवाम बावरी सकनाए खैरूवाला तह0 सादुलशहर जिला श्री गंगानगर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. हरीराम पुत्र श्रीधन्नाराम जाति मेघवाल निवासी अलीपुरा हाल 20 के एस डी तह0सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, सादुलशहर जिला श्री गंगानगर।

रेस्पोडेन्ट

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अपील विरूद्व आदेश 08.11.14 तहसीलदार, सादुलशहर

उपस्थित : श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट
रेस्पो0 सं0 1 के खिलाफ एकपक्षीय

आदेश **दिनांक: 18–5–16**

प्रस्तुत अपील लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई। हस्तगत अपील भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत पेश की गई है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट के पिता महंगासिंह को भारत सरकार द्वारा चक 26 एम जे डी तह0 सादुलशहर मेंकुल रकबा 3.174 है0 अलॉट हुआ था। अपीलांट के पिता का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके जायज वारिसान संतकौर पत्नी, बचनीकौर, अमरीबाई, अमरसिंह, अमरजीतसिंह, रानी बाई, भजनीबाई हैं। अपीलांट के पिता के देहान्त के बाद उक्त रकबा का कब्जा अपीलांट व उसके भाई के पास चला आ रहा था। अपीलांट की भूमि पर ईशरराम, नत्थुराम, महेन्द्रसिंह द्वारा नाजायज कब्जा करने की कौशिश की तो अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार, सादुलशहर के समक्ष पेश किया, जिसपर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 8–11–14 को मौके की जॉच की गई । जॉच मे कब्जा अपीलांट का दर्ज किया गया, लेकिन बाद में बिना किसी आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करके कब्जा हरीराम रेस्पोडेन्ट सं0 1 का बताया गया। अभी तक उपरोक्त रकबा की खातेदारी सनद जारी नहीं हुई है। अपीलांट द्वारा रकबा का

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

श्रीगंगानगर (राजस्थान)

बेचान नहीं किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–11–14 निरस्त फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि अपीलांट के पिता महंगासिंह को भारत सरकार द्वारा चक 26 एम जे डी तह0 सादुलशहर में कुल रकबा 3.174 है0 अलॉट हुआ था। अपीलांट के पिता का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके जायज वारिसान संतकौर पत्नी, बचनीकौर, अमरीबाई, अमरसिंह, अमरजीतसिंह, रानी बाई, भजनीबाई हैं। अपीलांट के पिता के देहान्त के बाद उक्त रकबा का कब्जा अपीलांट व उसके भाई के पास चला आ रहा था। अपीलांट की भूमि पर ईशरराम, नत्थुराम, महेन्द्रसिंह द्वारा नाजायज कब्जा करने की कौशिश की तो अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार, सादुलशहर के समक्ष पेश किया, जिसपर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 8–11–14 को मौके की जॉच की गई । जॉच मे कब्जा अपीलांट का दर्ज किया गया, लेकिन बाद में बिना किसी आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करके कब्जा हरीराम रेस्पोडेन्ट सं0 1 का बताया गया। अभी तक उपरोक्त रकबा की खातेदारी सनद जारी नहीं हुई है। अपीलांट द्वारा रकबा का बेचान नहीं किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–11–14 निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय का कोई आदेश नहीं है बल्कि पटवारी की रिपोर्ट मात्र है। पटवारी की रिपोर्ट अपील का आधार नहीं हो सकती है। अतः अपील संधारण योग्य न होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ अपीलाधीन आदेश दिनांक 8–11–14 जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो, पेश नहीं किया है बल्कि दिनांक 8–11–14 पटवारी की रिपोर्ट मात्र है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो रेकार्ड भिजवाया गया है, वह भी दैनिक डायरी की प्रमाणित प्रति पेश की गई है जो अपीलांट के प्रार्थना पत्र दिनांक 17–10–14 की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है। अतः पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 8–11–14 अपील का आधार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट संधारण योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

फलस्वरूप, अपील अपीलांट संधारण योग्य न होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 18—5—16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।?

18/5/16

(कर्णसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)